

Order Sheet [Contd]

Case No 123/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
17-04-17	<p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपी पवन उर्फ अजयसिंह अभिरक्षा से पेश सहित अधिवक्ता श्री अवधविहारी पारासर उपस्थित।</p> <p>जिला अभिलेखागार भिण्ड से मूल अभिलेख प्राप्त नहीं। प्रकरण में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पर उभय पक्षों को सुना गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री पाराशर द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया है कि पुलिस थाना एण्डोरी के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक व उसके परिवार के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबकि उक्त अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। घटना में मृतक गजेन्द्र तोमर आपराधिक प्रवृत्ति का था उसकी कई लोगों से रंजिश थी। आवेदक घटना के पूर्व से ग्राम गढी चटोला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर रास्थान में अपने परिवार के साथ निवास करता था। मात्र जमीनी रंजिश के कारण उसे व उसके परिवार को झूठा फंसाया है। फरियादी द्वारा घटना घर के अंदर की होना बताई है, जबकि घर के अन्य किसी सदस्य को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। आवेदक करीब एक माह से अभिरक्षा में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त को केवल पारिवारिक रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। घटना के समय वह मोके पर नहीं था और उसके न्यायिक निरोध में रहने से उसका परिवार अस्तव्यस्त हो गया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है और इसी आधार पर उसे जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>घटना दिनांक 19.10.2012 की होनी दर्शाई गई है। आरोपी लम्बे समय से फरार रहा है और इसी कारण आरोपी के विरुद्ध यह पूरक अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी पक्ष के साथ मारपीट करने के आरोप लगाया है। आवेदक के द्वारा लुहांगी लाठी से मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। घटना में गजेन्द्र पिता नरेश की मृत्यु हुई है। आरोपी पर लगाए गए गंभीर आरोप, उपलब्ध सामाग्री एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर छोड़ा जाना उचित</p>	

प्रतीत नहीं होता है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

मूल सत्रवाद जिला अभिलेखागार से तलब हो।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 02.05.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला- भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)